

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना संख्या 39/2021-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 21 दिसंबर, 2021

का.आ.....(अ).— केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) की धारा 1 की उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 जनवरी, 2022 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम की धारा 108, धारा 109 और धारा 113 से 122 के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा.सं. सीबीआईसी-20006/26/2021-जीएसटी]

(राजीव रंजन)

अवर सचिव, भारत सरकार